


45
47

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ,ग्वालियर ,श्रृंखला न्यायालय

निगरानी 929-TTF-15
रीवा, मध्यप्रदेश



राजस्व निगरानी कमांक/2014-15

- 1- रामबिहारी यादव तनय राम प्रताप यादव
- 2- उदयभान तनय राम प्रताप यादव

दोनो पेशा खेती एवं मजदूरी निवासी ग्राम घुंघुटा थाना व तहसील
रामपुरनैकिन जिला सीधी मध्यप्रदेश

निगरानीकर्तागण


बनाम,


मध्यप्रदेश शासन

.....उत्तरवादी / अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
कलेक्टर महोदय सीधी (पीठासीन अधिकारी श्री
विशेष गढ़पाले) प्रकरण कमांक /02/
स्व0निगरानी/ 2013-2014 में पारित आदेश
दिनांक 27 जनवरी 2015,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व
संहिता 1959

श्री. 
द्वारा आज दि. 29-4-15 को मान्यवर,
पस्तुत


क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण के तथ्य

1- यहकि पुनरीक्षणकर्तागण पिछड़ी जाति के व्यक्ति होकर ग्राम
घुंघुटा तहसील एवं थाना रामपुरनैकिन के निवासी एक भूमिहीन कृषक मजदूर
व्यक्ति हैं जो ग्राम घुंघुटा तहसील रामपुरनैकिन जिला सीधी में स्थित भूमि
खसरा कमांक 114/1 रकवा 2.768 हैक्टेयर के अंश रकवा 0.101, 132/1
रकवा 2.653 के अंश रकवा 0.600, 146/1 रकवा 3.606 हैक्टेयर के अंश रकवा
0.400 हैक्टेयर एवं 150 रकवा 0.575 हैक्टेयर के जुज रकवा 0.475 हैक्टेयर
कुल कित्ता 4 योग रकवा 1.576 हैक्टेयर जो मध्यप्रदेश शासन के स्वत्व की

46

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R929/11/15 (रीवा) राजकिरी शक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6/2/19	<p>इस प्रकरण में दिनांक <u>14/9/18</u> को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी <u>कांसेक्टर</u>, <u>रीवा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>02/2018/13-14</u> में पारित आदेश दिनांक <u>27/1/15</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>29/1/19</u> को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right"><i>[Signature]</i> सदस्य</p>